भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2445

(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंजाब में पीएमएवाई-जी

2445. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के प्रारंभ से अब तक इस पर व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-जी के प्रारंभ से पंजाब में लाभार्थियों को आवंटित किए गए आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) पीएमएवाई-जी के लिए आवंटित ऐसी कुल धनराशि कितनी है जिसका उपयोग समय-सीमा के भीतर नहीं किया जा सका?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत अब तक राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश के रूप में 2,22,688.63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य अंश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई कुल निधियां 3,37,601 करोड़ रुपये हैं।

(ख) पंजाब राज्य में पीएमएवाई -जी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक लक्षित , स्वीकृत और निर्मित आवासों की संख्या इस प्रकार है:

मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत आवास	निर्मित आवास
39,689	39,619	38,406

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मानदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों के आधार पर की जाती है। ये मानदंड एसईसीसी 2011 के डेटाबेस पर लागू होते हैं और डेटाबेस से परिवारों की सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची पर ग्राम सभा की बैठकों में विचार - विमर्श किया जाता है। ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत -वार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार की जाती है। इसके बाद जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास + सर्वेक्षण किया गया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिनका दावा था कि वे पीडब्ल्यूएल में शामिल होने के पात्र थे , लेकिन एसईसीसी 2011 में छूट गए थे। इस प्रक्रिया में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त आवासों का विवरण अपलोड किया , जो उपरोक्तानुसार ग्राम सभा द्वारा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के अध्यधीन था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ का पूरा लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें से सभी आवासों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत कर दिए गए हैं और दिनांक 1.08.2024 की स्थिति के अनुसार 2.64 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

(घ) पीएमएवाई-जी के तहत, राज्यों में निधियों के कम उपयोग , केंद्रीय और राज्य अंश के जारी होने में देरी आदि के कारण 13,594 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश राज्यों को जारी नहीं किया जा सका।

****